बिहार सरकार
उद्योग विभाग
हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय

पत्रांकः– ह0क0सह0–(यो0/आर0एस0बी0वाई0डाटा)–14/2016 .... पटना, दिनांक– ....

प्रेषक,

अपर उद्योग निदेशक (तक0),
हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय,
बिहार, पटना।

स्मार पत्र

सेवा में,

महाप्रबंधक,
जिला उद्योग केन्द्र,
बांका/भागलपुर/गया/जहानाबाद/खगड़िया/कैमूर(भभुआ)/कटिहार/
नालन्दा/नवादा/पटना।
उप विकास पदाधिकारी (वस्त्र), गया/भागलपुर।

विषय :– **RSBY के अन्तर्गत विहित प्रपत्र में बुनकरों की त्रुटिरहित विवरणी सॉफ्ट कॉपी एवं हार्ड कॉपी में उपलब्ध कराने के संबंध में।**

प्रसंग :– इस निदेशालय का पत्रांक 910 दिनांक 03.06.16 एवं 1121 दिनांक 14.07.16

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के क्रम में कहना है कि प्रायः आपके स्तर से RSBY Proforma में बुनकर परिवार का विवरणी/आँकड़ा अपूर्णरूप से एवं त्रुटिपूर्ण उपलब्ध कराये जाने के कारण इसे प्रसंगगत त्रुटियों के निवारण हेतु वापस करना पड़ता है। इससे योजना कार्यान्वयन पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। अतएव इसके साथ RSBY Proforma भरने संबंधी निदेश संलग्न करते हुए अनुरोध है कि वापस किये गये सी0डी0 में त्रुटि निवारण करते हुए यथाशीघ्र उपलब्ध कराये।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

अनु0– यथोक्त।

विश्वासभाजन,

ह0/–
अपर उद्योग निदेशक (तक0),
हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– ह0क0सह0–(विविध/न्यू अवार्ड)–08/2017 ...707... पटना, दिनांक– 7.6.17

प्रतिलिपि– आई0टी0 प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

07.06.17
अपर उद्योग निदेशक (तक0),
हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय,
बिहार, पटना।

Letter(A.V.K) 2017-50

RSBY Proforma भरने संबंधी निदेश–

1. विहित प्रपत्र में 19 कॉलम दिया गया है। जिसमें कॉलम 6,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18 एवं 19 उद्योग विभाग द्वारा भरा जाएगा। उद्योग विभाग से अभिप्रेत है उद्योग विभाग के संबंधित क्षेत्रीय पदाधिकारी।

2. कॉलम 6 में ब्लॉक का नाम भरना है।

   कॉलम8 में पंचायत का नाम भरना है।

   कॉलम10 में गाँव का नाम भरना है।

   कॉलम11 में सभी सदस्यों का आई0डी0नं0 लिखना है। (आई0डी0– आधार कार्ड सं0/मतदाता पहचान पत्र)

   कॉलम 12 में सभी सदस्यों का नाम लिखना है। (सबसे पहले घर के सबसे बड़े सदस्य का नाम लिखा जाएगा। उन्हें परिवार का मुखिया मानते हुए उनके अन्य सदस्यों का संबंध कोड प्रपत्र में दिये अनुसार कॉलम 15 में भरना है।)

   कॉलम13 में Gender की जानकारी देना है। (यथा M or F or Other)

   कॉलम14 में उम्र लिखना है।

   कॉलम16 में क्रमानुसार सदस्यों का नाम अंग्रेजी में भरना है।

   कॉलम17 में क्रमानुसार सदस्यों का नाम हिन्दी में भरना है।

   कॉलम18 में क्रमांक (12) में उल्लेखित सदस्यों के पिता/पति का नाम लिखना है।

   कॉलम19 में बुनकर परिवार का घर सं0 डालना है।

   उपरोक्त कॉलम में अगर किसी खाने में विवरणी नहीं दिया जाना है तो उसे (–) चिन्ह से दर्शाया जाए।

3. एक बुनकर परिवार के लिए एक प्रपत्र भरा जाएगा। जिसमें उस परिवार के पाँच सदस्यों (पति, पत्नी एवं तीन आश्रित) तक को शामिल किया जाएगा।

4. हस्तकरघा उद्योग से जुड़े अनुषंगी कारीगरों (Allied workes) को भी योजनान्तर्गत शामिल किया जाना है।

5. जिनकानिबंधन RSBY योजनान्तर्गत पूर्व में हो चुका है, उन्हें दुबारा प्रपत्र नहीं भरना है।

6. पात्र बुनकर परिवार/अनुषंगी कारीगर की विवरणी क्षेत्रीय पदाधिकारी के स्तर से जाँचोपरान्त विहित प्रपत्र में भरकर हार्ड कॉपी एवं साफ्ट कॉपी (MS-Excel) में तैयार कर हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय में उपलब्ध कराना है। साफ्ट कॉपी तैयार करने के क्रम में हिन्दी भाषा के लिए Kruti Dev 010 फॉन्ट एवं अंग्रेजी भाषा के लिए Times New Roman फॉन्ट का ही प्रयोग करें।

7. हार्ड कॉपी में बुनकर परिवार के मुखिया का स्वहस्ताक्षरित फोटोग्राफ चिपका देना है।

8. साफ्ट कॉपी (MS-Excel) में तैयार करना है। हार्ड कॉपी का स्कैन कर सी0डी0 तैयार नहीं करना है।

9. क्षेत्रीय पदाधिकारी जाँचोपरान्त अपने अग्रसारण पत्र में इसका उल्लेख करेंगे कि सूची में शामिल पात्र बुनकर हैं ये बुनाई कार्य कर रहे है या इससे संबंधित अनुषंगी कार्यों में संलग्न है तथा इनका निबंधन RSBY योजनान्तर्गत नहीं हुआ है।